[2020] 1 एस.सी.आर. 1175

सिद्धराजू

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1567/2017)

14-15 जनवरी, 2020

[रोहिंटन फली नरीमन, अनिरुद्ध बोस एवं वी० रामसुब्रमण्यन]

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 - विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट द्वारा *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(2016) 6 स्केल 417: (2016) 13 एससीसी 153: [2016] 3 एससीआर 407] मामले में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है – हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि *इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(1992) अनुपूरक 3 एस.सी.सी. 125] मामले में बहुमत द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर जो रोक लगाई गई थी, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के साथ-साथ अनुच्छेद 16(1) पर भी लागू होती है और इसके विपरीत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है – इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी 29.12.2005 का एक कार्यालय ज्ञापन था, जिसमें आरक्षण की सीमा के बारे में कहा गया था कि "2(ii) ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों पर पदोन्नति के मामले में, जहाँ सीधी भर्ती का हिस्सा यदि कोई है तो वह 75% से अधिक नहीं होगा, और उनमें से तीन प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी..." – इस कार्यालय ज्ञापन (O.M.) पर *भारत संघ एवं अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एवं अन्य* [(2013) 10 SCC 772] मामले में विचार किया गया था। उसमें यह निर्धारित किया गया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के समान ही की जानी चाहिए। तदनुसार, 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन

के वे खंड, जो इस तर्क के विपरीत थे, रद्द कर दिए गए – यह भी माना गया कि विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का 50% की अधिकतम सीमा (Ceiling) से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, विकलांग व्यक्तियों के संबंध में *इंद्रा साहनी* का फैसला लागू नहीं होता है – मामलों के इस वर्तमान समूह को विचार के लिए एक बड़ी पीठ (Larger Bench) को भेजा गया था – बड़ी पीठ ने निर्धारित किया: *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(2016) 13 SCC 153] मामले में यह माना गया था कि *इंद्रा साहनी* मामले में निर्धारित 'पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं' का नियम विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है – इस फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया था कि *इंद्रा साहनी* का मामला एक अलग समस्या से संबंधित था और इसलिए, उस नियम का यहाँ पालन नहीं किया जा सकता – नतीजतन, इस संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि *भारत संघ एवं अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एवं अन्य* [(2013) 10 एससीसी 772] का निर्णय (जैसा कि *नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी* [2015 (9) Scale 611] में स्पष्ट किया गया है) और *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(2016) 13 SCC 153] का निर्णय, केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगे। विशेष रूप से 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के बावजूद, इन फैसलों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

भारत संघ एवं अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एवं अन्य**, (2013) 10** एससीसी **772 : [2013] 9** एससीआर **1023;** नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, **2015 (9)** स्केल **611;** राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2016) 13** एससीसी **153 : [2016] 3** एससीआर **407 -** लागू माना गया।

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, **(1992)** अनुपूरक **3** एससीसी **217 : [1992] 2** अनुपूरक एससीआर **454 -** लागू नहीं माना गया।

निर्णयजन्य विधियों का संदर्भ

[2013] 9 एससीआर **1023**	लागू माना गया	पैरा **5, 11**
[2015] (9) स्केल **611**	लागू माना गया	पैरा **8, 11**
[2016] 3 एससीआर **407**	लागू माना गया	पैरा **9, 11**
[1992] 2 अनुपूरक एससीआर **454**	लागू नहीं माना गया	पैरा **9**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1567/2017।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के रिट याचिका संख्या 42475/2015 (एस-कैट) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.03.2016 के विरुद्ध।

साथ में

सिविल अपील संख्या 5389/2016 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 36/2017, और सिविल अपील संख्या 300, 299, 310/2020 तथा 6092, 6095/2019।

सुश्री माधवी दीवान, संजय जैन (दोनों अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल), एस.के. रूंगटा, जयना कोठारी, सुश्री किरण सूरी, नकुल दीवान (वरिष्ठ अधिवक्तागण), शिवांकुर शुक्ला, प्रशांत सिंह, सुश्री अमिता सिंह कालकल, सुश्री रुखसाना चौधरी, सुश्री वैशाली वर्मा, अक्षय अमृतांशु, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री प्रियंका दास, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुमित उपाध्याय, सुश्री जयकृति एस. जडेजा, मुकेश कुमार मारोरिया, सचिन शर्मा, राजन कुमार चौरसिया, पद्मेश मिश्रा, अर्कज कुमार, शिव मंगल शर्मा, युवराज शर्मा, शिरमंजल शर्मा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, राज बहादुर, श्रीमती अनिल कटियार, सुदर्शन राजन, डॉ. के.बी. सुंदर राजन, महेश कुमार, सुश्री मीना सहरावत, एस.जे. अमित, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, सुश्री नंदनी गुप्ता, कृष्ण कुमार,

मो. शाहिद अनवर, जुल्फिकार अली खान, राजन मणि, सुश्री रितु कुमार, पुखरांबम रमेश कुमार, करुण शर्मा, प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, प्रशांत शुक्ला, सुश्री अनुश्री शुक्ला, अर्श धनोतिया, सुश्री प्रतिभा यादव, पूर्वीश जितेंद्र मलकान, अभिनव रामकृष्ण, वी.एन. रघुपति, मानेंद्रपाल गुप्ता, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सचिन पाटिल, राहुल चितनिस, आदित्य पांडेय, उपस्थित पक्षों की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन द्वारा दिया गया था।

1. न्यायालय के समक्ष मामलों का यह समूह इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 03.02.2017 को किए गए अंतरण के बाद हमारे पास आया है। अंतरण आदेश इस प्रकार है:

"विलंब माफ किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

इस मामले में जो प्रश्न उठा है, वह यह है कि क्या "विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" के तहत आने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है? इस न्यायालय द्वारा *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(2016) 6 स्केल 417] मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री रंजीत कुमार, तर्क देते हैं कि *इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* - [(1992) अनुपूरक 3 एससीसी 215] मामले में बहुमत द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध जो निषेध (रोक) निर्धारित किया गया था, वह भारत के संविधान के न केवल अनुच्छेद 16(4), बल्कि 16(1) पर भी लागू होता है और इसके विपरीत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

विकलांग व्यक्तियों को निश्चय ही प्राथमिकता की आवश्यकता होती है परंतु इस प्राथमिकता के अंतर्गत केवल नियुक्ति में ही आरक्षण मान्य हो सकता है, पदोन्नति में नहीं। 1995 के अधिनियम की धारा 33 को उसी तरह पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

हम पाते हैं कि यह तर्क उचित है और इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि उचित आदेश प्राप्त हो सके। भारत संघ को आज से एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

2. संसद ने विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया, जो 1996 का अधिनियम संख्या 1 है। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि दिसंबर, 1992 में बीजिंग (चीन) में आयोजित एक सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणापत्र को स्वीकार किया गया था। चूंकि भारत ने भी उक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, अतः यह आवश्यक है कि विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु एक उचित कानून बनाया जाए और ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2(i) "विकलांगता" को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"(i) "विकलांगता" का अर्थ है -

(i) दृष्टिहीनता;

(ii) कम दृष्टि;

(iii) कुष्ठ रोग-मुक्त;

(iv) श्रवण दोष;

(v) चलने-फिरने में अक्षमता;

(vi) मानसिक मंदता;

(vii) मानसिक बीमारी;"

धारा 2(t) "विकलांग व्यक्ति" को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"(t) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो उपर्युक्त किसी भी विकलांगता (कम से कम चालीस प्रतिशत) से पीड़ित हो और यह विकलांगता किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो;"

4. उसके बाद यह अधिनियम केंद्रीय और राज्य समन्वय समितियों के गठन और विकलांगता की रोकथाम और शीघ्र पहचान के लिए प्रावधान करता है। हमारा विषय सीधे तौर पर अधिनियम के अध्याय VI से संबंधित है, जो रोजगार के उद्देश्य से पदों की पहचान और आरक्षण से संबंधित है।

ये धाराएँ इस प्रकार प्रावधान करती हैं:-

"32. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की पहचान.- सरकारें-

(a) प्रतिष्ठानों में उन पदों की पहचान करेंगी जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है;

(b) अधिक से अधिक तीन वर्ष के अंतराल पर, प्रौद्योगिकी में विकास को ध्यान में रखते हुए चिह्नित पदों की सूची की समीक्षा करेंगी और सूची को अद्यतन करेंगी।

33.पदों का आरक्षण.- प्रत्येक सरकार प्रत्येक संस्थान में रिक्तियों पर इस प्रकार नियुक्ति करेगी, कि नियुक्त व्यक्तियों में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत तीन प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें एक-एक प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा-

(i) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ii) श्रवण दोष;

(iii) चलने फिरने में अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी,

प्रत्येक विकलांगता के लिए चिह्नित पदों में:

यह प्रावधान किया जाता है कि सरकार, किसी विभाग या संस्थान में संपादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना जारी करके कुछ शर्तों के तहत, जो ऐसी अधिसूचना में अंकित होंगी, किसी संस्थान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।"

34.*भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य*, (2013) 10 SCC 772 में, इस न्यायालय ने पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 32 और 33 पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने भारत सरकार के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण की मात्रा इस प्रकार होगी:-

"2. आरक्षण की मात्रा

(i) ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से एक-एक प्रतिशत (i) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ii)

श्रवण दोष और (iii) चलने फिरने में विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी;

(ii) ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों पर पदोन्नति के मामले में, जिनमें सीधी भर्ती का (हिस्सा), यदि कोई हो, तो वह 75% से अधिक नहीं होगा। तीन प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से एक-एक प्रतिशत (i) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ii) श्रवण दोष और (iii) लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए चिह्नित पदों में आरक्षित होंगी।

न्यायालय ने तब निम्नलिखित निर्णय दिया:

"39) अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ग्रुप सी और डी में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने से पहले से ही चला आ रहा है और दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संवर्ग क्षमता में कुल रिक्तियों के विरुद्ध किया जा रहा है, अतः धारा 33 का प्रभाव इतना ही है कि इन पदों की गणना केवल चिह्नित पदों के भीतर ही की जानी है। उक्त धारा की स्पष्ट भाषा को देखते हुए यह तर्क भी पूरी तरह से गलत है, जैसा कि वर्णित है। यहाँ तक कि केवल तर्क करने के लिए भी, यदि हम मान कर चलें कि ग्रुप सी और डी पदों के संबंध में आरक्षण की गणना संवर्ग क्षमता की कुल रिक्तियों के लिए है, क्योंकि अधिनियम से पहले ग्रुप सी और डी पदों में आरक्षण की योजना लागू थी, तो भी धारा 33 क्रमशः ग्रुप ए और बी पदों या ग्रुप सी और डी पदों के बीच आरक्षण की गणना के तरीके में कोई भेद उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रकार, एक ही विषय-वस्तु के लिए, किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या और उसे अलग-अलग तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।

40) इसके अलावा, यदि हम अपीलकर्ताओं की व्याख्या को स्वीकार करें कि आरक्षण की गणना केवल चिह्नित पदों के लिए होनी चाहिए, तो आरक्षण की योजना को ही लागू करने में

अनिश्चितता पैदा हो जाएगी क्योंकि वास्तविकता यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों में, यहां तक कि एक ही सरकार के विभिन्न विभागों के बीच पदों का चिह्नितीकरण भी एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद को दृष्टिहीनों और कम दृष्टि वालों के लिए उपयुक्त के रूप में चिह्नित किया गया है, और इसी पद को गुजरात, जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में दृष्टिहीनों और कम दृष्टि वालों के लिए उपयुक्त के नहीं माना गया है। इस कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई मुकदमे भी लंबित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, नौकरियों/पदों को चिह्नित करने के मुद्दे का निराकरण करने वाले कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.2005 के पैरा 4, उप-खंड (b) में उद्धृत है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नौकरियों/पदों की सूची अधूरी है। इन परिस्थितियों में, यदि अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो आरक्षण की गणना और भी अनिश्चित और अराजक हो जाएगी।"

42) इंद्रा साहनी मामले के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के पक्ष में किए गए आरक्षण पर लागू होती है, जबकि विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण क्षैतिज है, जो संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत आता है। वास्तव में, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में 50% की अधिकतम सीमा के नियम पर विचार करते समय विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में 3% आरक्षण का उदाहरण दिया है। निर्णय का पैरा 812 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विकलांगता आरक्षण के तहत अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति के बाद, उन्हें उनके उनकी श्रेणी के आधार पर आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी से संबंधित रोस्टर में रखा जाएगा, और इस प्रकार, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का अपने आप में 50% की सीमा से कोई सरोकार ही नहीं है। पैरा 812 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है :-

"812. ......सभी आरक्षण एक ही प्रकृति के नहीं होते हैं। आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' कहा जा सकता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा के [अनुच्छेद 16(4) के तहत] आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक रूप से विकलांगों के [अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत] आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटता है - जिसे अंतर्ग्रंथित आरक्षण कहा जाता है। अधिक स्पष्टता के लिए, मान लीजिए कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% रिक्तियां आरक्षित हैं; यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा। इस कोटे के में चयनित व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा; यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा; इसी तरह, यदि वह अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उसी श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत वही रहता है और रहना भी चाहिए......"

ऐसा निष्कर्ष निकालने के बाद, न्यायालय ने पुनः निर्धारित किया :

"50) विकलांग लोगों के सशक्तिकरण और मुख्यधारा में समावेशन हेतु रोजगार एक प्रमुख कारक है। यह चिंताजनक वास्तविकता है कि विकलांग लोग नौकरी से बाहर इसलिए नहीं हैं कि उनकी विकलांगता उनके कामकाज के आड़े आती है, बल्कि यह सामाजिक और व्यावहारिक बाधाएं हैं जो उन्हें कार्यबल में शामिल होने से रोकती हैं। परिणामस्वरूप, कई विकलांग व्यक्ति गरीबी और दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें अपने स्वयं के जीवन और अपने परिवारों तथा समुदाय के जीवन में उपयोगी योगदान देने के अधिकार से वंचित किया जाता है।

51) भारत के संविधान के तहत और सामान्य रूप से मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संधियों के तहत भारत सरकार

का, राज्य सरकारों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक स्पष्ट दायित्व है। भले ही अधिनियम वर्ष 1995 में बनाया गया था, लेकिन विकलांग लोग आज तक उचित लाभ नहीं पा सके हैं।

52) इस प्रकार, विचारपूर्ण चिंतन के बाद, हमारा यह मत है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के मामले में एक समान तरीके से की जानी चाहिए, अर्थात *"संवर्ग क्षमता में कुल रिक्तियों की संख्या पर 3% आरक्षण की गणना करना"* जो कि विधायिका का आशय है। तदनुसार, 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के कुछ खंड, जो उपरोक्त तर्क के विपरीत हैं, रद्द किए जाते हैं और हम संबंधित सरकार को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नए कार्यालय ज्ञापन जारी करने का निर्देश देते हैं।

53) इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का 50% की अधिकतम सीमा से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, विकलांग व्यक्तियों के संबंध में *इंद्रा साहनी* मामला लागू नहीं होता है।"

6. तत्पश्चात, उक्त निर्णय के अंत में विकलांगों के लिए आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे।

7. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने दिनांक 03.12.2013 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें उसने दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन में केवल एक परिवर्तन किया जो निम्नानुसार है :-

"5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 14 को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:

'ग्रुप ए' या 'ग्रुप बी' पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना संवर्ग में क्रमशः सभी 'ग्रुप ए' पदों या 'ग्रुप बी' पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जाएगी।"

यह कहते हुए अवमानना याचिकाएं दायर की गईं कि इस निर्णय में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जो अभी हमारे समक्ष विचार योग्य विषय नहीं है। इन याचिकाओं को इन मामलों में निर्णय के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।

8. इस संबंध में अगला महत्वपूर्ण निर्णय, जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है, वह *नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी, सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, 2015 (9) स्केल 611* का निर्णय है, जिसके पैरा 10 में पूर्ववर्ती निर्णय के पैरा 51 को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था :-

"10. आदेश का पैरा 51, जिस पर श्री रूंगटा द्वारा भरोसा किया गया है, उसे न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, अर्थात ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के मामले में रिक्तियों की गणना का तरीका। उक्त पैरा 51 में न्यायालय ने केवल इतना ही कहा है कि ऐसी चिह्नित करने का तरीका सभी समूहों, अर्थात् ए, बी, सी और डी के मामले में एक समान होना चाहिए। न्यायालय के उक्त आदेश के पैरा 51 से इससे अधिक कुछ नहीं समझा जाना चाहिए।"

9. अब हम इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर आते हैं, जो *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य – (2016) 13 एससीसी 153* के रूप में प्रतिवेदित है। इस निर्णय में, प्रसार भारती के पदों को चार समूहों—ए, बी, सी, और डी में वर्गीकृत किया गया था। न्यायालय के समक्ष उत्पन्न प्रश्न पैरा 5 में निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में 3 प्रतिशत आरक्षण का वैधानिक लाभ तब नकार दिया जाता है जब ग्रुप ए और बी में चिह्नित पदों की बात आती है, क्योंकि ये पद सीधी भर्ती

के माध्यम से भरे जाने होते हैं। *इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217* में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"14. अब हम *इंद्रा साहनी* द्वारा प्रतिपादित पदोन्नति में आरक्षण पर निषेध की उपयुक्तता की जांच करते हैं। *इंद्रा साहनी* से पूर्व, पदोन्नति में आरक्षण कानून के तहत मान्य था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *साउदर्न रेलवे बनाम रंगाचारी, एआईआर 1962 एससी 36* में व्याख्या की गई थी। *इंद्रा साहनी* ने विशेष रूप से *रंगाचारी* को उस सीमा तक उलट दिया जहाँ *रंगाचारी* में पदोन्नति में आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत मान्य माना गया था। *इंद्रा साहनी* ने विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है। बहुमत ने माना कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं है।

15. प्रतिवादी ने तर्क दिया कि *इंद्रा साहनी* में प्रश्न संख्या 7 का उत्तर वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से लागू होता है और *इंद्रा साहनी* के पैरा 828 में बहुमत की राय द्वारा रेखांकित कारणों को ग्रुप ए और ग्रुप बी के चिह्नित पदों पर पदोन्नति में आरक्षण को रोकने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

16. हम प्रतिवादी के तर्क से सहमत नहीं हैं। *इंद्रा साहनी* का निर्णय अनुच्छेद 16(4) के दायरे में आने वाले नागरिकों के पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था।

... ...

21) इंद्रा साहनी में प्रतिपादित सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब राज्य नागरिकों के कुछ ऐसे वर्गों को, जिन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित किया गया है, राज्य के अधीन रोजगार देने में प्राथमिकता देना चाहता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को अनुच्छेद 16(1) के तहत नागरिकों

के अन्य वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से नहीं रोकता है यदि वे किसी अन्य कारणवश पात्र हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 16(1) के आदेश के अनुरूप कानून के तहत ऐसी प्राथमिकता तय करने के लिए, राज्य सरकार अनुच्छेद 16(1) में उल्लिखित जाति, धर्म आदि जैसे किसी भी कारक को आधार के रूप में नहीं चुन सकती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का आधार शारीरिक विकलांगता है न कि अनुच्छेद 16(1) के तहत निषिद्ध मानदंडों में से कोई। इसलिए, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होने का नियम, जैसा कि *इंद्रा साहनी* में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट रूप से और विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।"

न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला:

"24. 1995 के अधिनियम की धारा 32 और 33 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रशासन की आवश्यकताओं और विकलांग व्यक्तियों को अधिक अवसर प्रदान करने की अनिवार्यता के बीच एक सूक्ष्म और सुनियोजित संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए, जैसा कि हमारे विश्लेषण के पहले भाग में उल्लिखित है, धारा 32 के तहत पदों को चिह्नित करने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब किसी पद को चिह्नित कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि एक विकलांग व्यक्ति उक्त चिह्नित पद से जुड़े कार्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम है। एक बार ऐसा सक्षम पाए जाने पर, धारा 33 के तहत कम से कम तीन प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण मिलना ही चाहिए। एक बार पद की पहचान हो जाने के बाद, उसे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे राज्य द्वारा उक्त पद को भरने के लिए भर्ती का कोई भी तरीका अपनाया गया हो।

25. पूर्ववर्ती विश्लेषण के आलोक में, हम विवादित ज्ञापनों को अवैध और 1995 के अधिनियम के असंगत घोषित करते हैं। हम सरकार को निर्देश देते हैं कि वह ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी चिह्नित पदों में विकलांग व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करे, चाहे ऐसे पदों को भरने का तरीका कुछ भी हो। तदनुसार यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।"

10. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सहित सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारा यह मत है कि इस न्यायालय ने जब कहा कि *इंद्रा साहनी* एक अलग समस्या से संबंधित था और इसलिए, उसका अनुसरण नहीं किया जा सकता, तो इस निर्णय में कोई दोष नहीं है।

11. हम यह भी कह सकते हैं कि वर्ष 2013 और 2016 दोनों के निर्णयों के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं और तब भी उन्हें खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि वर्ष 2013 का निर्णय, जैसा कि *नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी, सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, [2015 (9) स्केल 611]* में स्पष्ट किया गया है, और *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य – (2016) 13 एससीसी 153* के मामले का निर्णय भारत संघ और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होगा और दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के बावजूद, विशेष रूप से इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। चूँकि संदर्भ का निपटारा आज हमारे द्वारा कर दिया गया है, अतः अवमानना याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

<u>सिविल अपील संख्या **1567/2017:**</u>

12. सिविल अपील संख्या 1567/2017 में पक्षकार बनाए जाने के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

13. यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु पीठ, बेंगलुरु के दिनांक 24.07.2015 के आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 2005 के कार्यालय ज्ञापन का पालन किया गया है और इस न्यायालय के किसी भी निर्णय का संदर्भ नहीं लिया गया है। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दायर एक रिट याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23.03.2016 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले में उत्पन्न होने वाला 'कानून' का प्रश्न समाप्त नहीं किया जा रहा है। तदनुसार, हम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय और उससे उत्पन्न

उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हैं। यह मामला इस न्यायालय के ऊपर बताए गए तीन निर्णयों के अनुसार निपटाया जाएगा, जिन निर्णयों का भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाना है। आगे कोई निर्देश पारित करना आवश्यक नहीं है। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

<u>सिविल अपील संख्या **5389/2016** में पुनरीक्षण याचिका (सी) संख्या **36/2017:**</u>

14. विलंब क्षमा किया जाता है।

15. आज के निर्णय के आलोक में यह मामला खारिज किया जाता है।

<u>विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या **11632/2017:**</u>

16. अनुमति प्रदान की जाती है।

17. इस अपील में उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.06.2016 के अपने आक्षेपित निर्णय में, *नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी, सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, 2015 (9) स्केल 611* में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देने के बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

"8. विद्वान महान्यायवादी का तर्क यह था कि धारा 47 की उप-धारा 2 को छोड़कर, विकलांगता अधिनियम के तहत पदोन्नति से संबंधित कोई अन्य प्रावधान नहीं था और इसलिए, विकलांगता अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा 2 के आधार पर यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि अधिनियम पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान करता है। दिनांक 1 सितंबर, 2015 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 9 और 10 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया है। दिनांक 1 सितंबर, 2015 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 10 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर, 2013 के पिछले निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 51 को यह स्पष्ट करते हुए समझाया है कि पैराग्राफ 51 में जो कहा गया है, वह

सभी समूहों अर्थात् ए, बी, सी और डी पदों के मामले में रिक्तियों की गणना के तरीके के बारे में है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरोपों के आधार पर अवमानना के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया कि पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्पष्ट शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि 8 अक्टूबर, 2013 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 51 में जो कहा गया है, उसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति वाले पदों पर भी आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है।"

"9. अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 499/2014 में दिनांक 1 सितम्बर, 2015 के आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आलोक में, अब दिनांक 4 दिसम्बर, 2013 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 13 में निहित निर्देशों को उस सीमा तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जहाँ तक वे 29 दिसम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों पर पदोन्नति के मामले में विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने से संबंधित हैं।"

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस आधार पर अवमानना याचिका में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती कि पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। यहाँ हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि यह इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की सही व्याख्या नहीं है। *नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संजय कोठारी, सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, [2015 (9) स्केल 611]* अवमानना याचिका में दिया गया एक निर्णय था जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि 2013 के निर्णय के पैराग्राफ 51 में केवल यही कहा गया है कि सभी समूहों के पदों को चिह्नित करने का तरीका एक समान होना चाहिए और इससे अधिक कुछ नहीं। *राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य – (2016) 13 एससीसी*

153 में विधि की घोषणा के बाद अब यह संदेह से परे स्पष्ट है कि 2005 के कार्यालय ज्ञापन को तब लागू नहीं किया जा सकता जब वह 2016 के निर्णय के प्रत्यक्ष विरोध में हो। इस निर्णय के आधार पर, विवादित निर्णय को निरस्त किया जाता है और अवमानना याचिका को मूल स्थिति में बहाल किया जाता है। याचिका का निपटारा गुण-दोष के आधार पर किया जाए। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

<u>विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या **21197/2017:**</u>

18. अनुमति प्रदान की गई।

19. आज के हमारे निर्णय के आलोक में, अपील खारिज की जाती है।

<u>विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या **4650/2019:**</u>

20. अनुमति प्रदान की गई।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुनने के बाद, हम कह सकते हैं कि उत्तर-हलफनामे के पैराग्राफ 4(C) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"(C) यह कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उस पद को चिह्नित करने के लिए एक समिति गठित की है जिस पर पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा। उक्त समिति ने 10.01.2017 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि पारेषण, वितरण और उत्पादन कंपनियों में अधिशासी अभियंता, यांत्रिक और विद्युत अभियंता के पद, जहाँ अधिशासी अभियंता को व्यक्तिगत रूप से स्थलों का दौरा करना पड़ता है और विभिन्न कार्य करने होते हैं, ऐसे पदों को आरक्षण के तहत रखना उचित नहीं है। हालाँकि, अधिशासी अभियंता, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सिविल इंजीनियरिंग के पद पर पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा। कंपनी के उक्त निर्णय को आज तक चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार यह विकलांग

व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों पर बाध्यकारी है। इस आधार पर भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका विचारणीय नहीं है।"

22. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 की आंतरिक समिति ने अधिशासी अभियंता, यांत्रिक और विद्युत अभियंता के पद पर अपने विवेक का प्रयोग किया है और यह राय दी है कि उक्त पद पर, उसमें दिए गए कारणों से शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण संभव नहीं होगा।

23. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंगित किया है कि 31.05.2001 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह एक विशेषज्ञ समिति है जिसे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों, और विशेष रूप से धारा 32 को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करनी है, और वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। चूँकि इस बिंदु पर किसी भी प्रति-अपील में बहस नहीं की गई है, हम अपीलकर्ता को कानून में उपलब्ध आधारों पर आंतरिक समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

24. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ऐसी चुनौती सफल होती है, तो हमारे द्वारा मुख्य मामले, अर्थात सिविल अपील संख्या 1567/2017 के निर्णय में बताए गए तीन निर्णयों को लागू करना होगा और उनका पालन करना होगा।

सिविल अपील संख्या **6092/2019:**

25. आज के निर्णय के अनुसार अपील खारिज की जाती है। दिनांक 08.07.2019 का अंतरिम आदेश समाप्त किया जाता है। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि केवल 2 ग्रुप 'ए' पद उपलब्ध/पहचाने गए हैं जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण को रोस्टर प्रणाली के अनुसार

लागू करना होगा। हम केवल यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने किसी भी तरह से यह संकेत नहीं दिया है कि ऐसी प्रणाली को कैसे संचालित किया जाना चाहिए।

<u>सिविल अपील संख्या **6095/2019:**</u>

26. आज के निर्णय के आलोक में अपील खारिज की जाती है।

अंकित ज्ञान

मामले निपटाए गए।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|